उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग /XXVII(8) / वाणिक कर (वैट) / 2008 दिनांकः देहरादूनः 🗘 🍞 फरवरी, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक Ř:—

अतएव, अब, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की घारा 4 की उपधारा (4), संपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की घारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—॥(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

संशोधन

अनुसूची—ी।(ख) में क्रमांक 109 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात:-

"109. मिटाई, रेवड़ी, गजक एवं शक्कर के उत्पाद जैसे कुलिया, बताशे, खिलौने, इलाइची दाना आदि तथा नमकीन।

> (आलोक कुमार जैन) प्रमुख सचिव, वित्त।

在公共2000年1

सं0-136/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

्रा जायुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें। 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियाँ वित्त अनुमाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 3—गार्ड फाईल हेतु / एन०आई०सी०।

आज्ञा से (सी०एस०सेम्बाल)

अपर सर्विव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated the Notification No. for general information.

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by subdo in public interest; section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-II (B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

Amendment

In Schedule-II(B), for the existing entry at serial no. 109, the following entry shall be substituted; namely:-

.1.1.1

*109. Sweetmeat, rewari, gajak and sugar products namely kulia, batasha, khilona, ilaichidana etc. and namkeen.

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.